मध्य प्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 20-5/2005/दो-ए(3)   भोपाल, दिनांक २५ मार्च, 2006

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
2. शासन के समस्त विभाग ।

विषय- मध्यप्रदेश मंत्रालय में पदस्थ उप सचिव/अवर सचिव के निवास पर दूरभाष व्यवस्था ।

-- 0 --

शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश मंत्रालय में पदस्थ उप सचिव/अवर सचिव को निवास पर शासकीय टेलीफोन आवंटित न होने की स्थिति में यदि उस अधिकारी के पास स्वयं के नाम से या उसके पति/पत्नि के नाम से व्यक्तिगत दूरभाष हो तो निम्नलिखित शर्तों पर शासकीय कार्य से किये गये दूरभाष के काल्स का व्यय स्वीकृत किया जा सकता है :-

1. दूरभाष के किराये को छोडकर केवल उनके द्वारा किये गये शासकीय हित में काल्स का संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापन किए जाने पर उक्त राशि का भुगतान विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित अधिकारी को स्वीकृत बजट से किया जावेगा ।
2. दूरभाष पर शासकीय काल्स के भुगतान की निर्धारित सीमा रूपये 500/-(पांच सौ केवल) प्रतिमाह होगी ।
3. यदि शासकीय काल्स की राशि निर्धारित सीमा से रूपये 500/- (पांच सौ) से अधिक होगी तो संबंधित प्रशासकीय विभाग वित्त विभाग(मंत्रालय) की सहमति के पश्चात भुगतान हेतु प्रस्तुत करेगा ।
4. दूरभाष के देयक प्राप्त होने पर प्रथमतः संबंधित अधिकारी देयक का भुगतान टेलीफोन विभाग को करेगा एवं तत्पश्चात देयक में दर्शित काल्स में से शासकीय हित में किए गये काल्स को प्रमाणित कर विभागाध्यक्ष को भेजेगा एवं विभागाध्यक्ष स्वीकृत वार्षिक बजट से भुगतान करेंगे ।

2/- [illegible] है कि शासन द्वारा निर्धारित सीमा के [illegible] के अतिरिक्त [illegible] टेलीफोन का [illegible], स्थान परिवर्तन तथा [illegible], रिपेयर [illegible] पुनः स्थापना [illegible] के [illegible] नहीं

2/- यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि शासन द्वारा निर्धारित सीमा के काल्स के अतिरिक्त अन्य मद जैसे टेलीफोन का किराया, स्थान परिवर्तन तथा दूरभाष की स्थापना, विच्छेद होने पर पुनः स्थापना आदि के चार्जेज देय नहीं होगें ।

3/- इस आदेश के संदर्भ में संबंधित अधिकारी, विभागीय सचिव को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेंगे । उक्त कार्य हेतु गृह विभाग को प्रस्ताव/आवेदन भेजने की आवश्यकता नहीं है । उक्त स्वीकृति संबंधित विभाग द्वारा ही जारी की जावेगी ।

4/- यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग तथा वित्त विभाग की सहमति/परामर्श से जारी किया जा रहा है ।

5/- यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनिल तिवारी)
अवर सचिव
म०प्र०शासन, गृह विभाग

पृ०क्र०एफ 20-5/2005/दो(3) भोपाल, दिनांक 24/3/06

प्रतिलिपि-

मुख्य लेखाधिकारी, म०प्र०मंत्रालय, भोपाल ।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग